<u>महत्वपूर्ण/पंचायत निर्वाचन, 2020</u>

<u>संख्या-**65/2020/**3022**/33-3-2020-03**रा.नि.आ.**/2014**</u>

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

1- गोरखपुर
2- वाराणसी
3- कन्नौज
4- भदोही
5- अमेठी
6- कानपुर देहात
7- बहराइच
8- बाराबंकी
9- देवरिया
10- एटा
11- बांदा
12- महोबा
13- सीतापुर
14- सोनभद्र
15- बस्ती
16- रायबरेली
17- जालौन
18- उन्नाव
19- फतेहपुर
20- प्रतापगढ
21- कौशाम्बी
22- मुरादाबाद
23- अमरोहा
24- अलीगढ
25- चित्रकूट
26- अम्बेडकर नगर
27- बागपत
28- बलिया
29- शाहजहांपुर
30- अयोध्या
31- महराजगंज
32- सहारनपुर
33- बुलन्दशहर
34- बिजनौर
35- लखीमपुर खीरी

पंचायतीराज अनुभाग-**3** **लखनऊ** दिनांक **30** दिसम्बर, **2020**

विषय- **नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद के सृजन/सीमा विस्तार के फलस्वरूप प्रभावित विकास खण्ड/विकास खण्डों की प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों(वार्डों) का आंशिक परिसीमन किया जाना।**

महोदय,

नगर विकास विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम के सृजन/सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन हेतु शासनादेश संख्या-**62/2961/33-3-2020-03**रा.नि.आ.**/14,** दिनांक **23** दिसम्बर, **2020** निर्गत किया गया है। पार्श्वांकित जनपदों के अतिरिक्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में दिये गये प्रावधान के अनुसार यदि दिनांक 23.12.2020 तक नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा किसी जनपद में नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम का गठन/सीमा विस्तार किया जाता है, तो वे जनपद भी इस शासनादेश से आच्छादित होंगे। उक्त पुनर्गठन के उपरान्त प्रभावित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए निम्नलिखित समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

(1)	ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाना	दिनांक 05 जनवरी, 2021 से 06 जनवरी, 2021 तक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2)	ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन	दिनांक 07 जनवरी, 2021 से 10 जनवरी, 2021 तक
(3)	प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना	दिनांक 11 जनवरी, 2021 से 12 जनवरी, 2021 तक
(4)	क्रमांक-3 पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण	दिनांक 13 जनवरी, 2021 से 14 जनवरी, 2021 तक
(5)	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन	दिनांक 15 जनवरी, 2021 से 16 जनवरी, 2021 तक

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का विभिन्न संचार माध्यमों, यथा-समाचार-पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से नि:शुल्क व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर समस्त कार्यवाही पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-385/33-3-2014-03रा.नि.आ./2014, दिनांक 06 फरवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या-459/33-3-20015-03रा.नि.आ./2014, दिनांक 12 फरवरी, 2015 का अनुपालन करते हुए उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम सूची शासनादेश संख्या-385/ 33-3-2014-03रा.नि.आ./2014, दिनांक 06 फरवरी, 2015 के साथ संलग्न रूपपत्र-1, 2 तथा 3 पर हार्डकॉपी (सॉफ्टकॉपी एम.एस.एक्सेल पर सी.डी. सहित) दिनांक 18 जनवरी, 2021 तक पंचायतीराज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2020 निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कराये जाने की अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**मनोज कुमार सिंह**)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या व दिनांक-यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ.प्र., लखनऊ।

2. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. को विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उत्तर प्रदेश।

5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं वांछित प्रस्ताव व अंतिम सूची समय से पंचायती राज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।